प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी दुग्धशाला विकास विभाग, मैनपुरी, आगरा, जालौन(उरई), हमीरपुर, झांसी, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, शाहजहॉपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या (फैजाबाद), अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराईच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ :दिनांक- 22 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु वित्तीय स्वीकृति (जिला यजना) अनुदान संख्या-83 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक- 23/दुग्ध-4/नियो0/कृ0-प्रशि0-एससीपी /2019-20, दिनांक- 03.04.2019 एवं पत्रांक-35/दुग्ध-4/नियो0/कृ0-प्रशि0-एससीपी/2019-20, दिनांक-16.04.2019 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष **2019-20** के आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 191.62 लाख (रूपये एक करोड इक्यानबे लाख बांसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार स्वीकृत करते हुए सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष **2019-20** के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए व्यय हेतु है। जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगे।

(4) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से उसका वहन करेंगे।

(6) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति की उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथासमय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/ सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

होगा। यह भी शर्त है एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे तथा बही-खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखों व बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(8) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2019-20** में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। योजनावार/जनपदवार परिव्यय प्राप्त कर लिया जायेगा ।

(9) वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की अवशेष तथा उपर्युक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष **2019-20** के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक य□जना-05-कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथा□क्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 9/2019/535(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित क□ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ विभाग को बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.2015 के सन्दर्भ में प्रेषित।
15- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
16- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
17- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द ग□पाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 9/2019/535/53-2-19-15(बजट)/16, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना (एस0सी0पी0) (धनराशि हजार रू0 में)

क्र	नाम जनपद	आहरण वितरण अधिकारी / निवर्तन अधिकारी का पदनाम	मदें										कुल धनराशि
			आवसीय प्रशिक्षण						क्षेत्र अध्यन भ्रमण -प्रदेशीय /अन्तर प्रदेशीय भ्रमण				
			प्रबन्ध कमेटी सदस्य		ए0एम0सी0यू0/बी0एम0सी0		दुग्ध उत्पादक		प्रगतिशील कृषक दर 7500/-		कार्मिक दर 12000/-		
			भौतिक (संख्या)	धनराशि	भौतिक (संख्या)	धनराशि	भौतिक (संख्या)	धनराशि	भौतिक (संख्या)	धनराशि	भौतिक (संख्या)	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मैनपुरी	उप दु0वि0अ0 मैनपुरी	20	60.00	2	6.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	235.50
2	आगरा	दु0वि0अ0 आगरा	34	102.00	2	6.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	277.50
3	मथुरा	तदैव	14	42.00	3	9.00	30	90.00	30	225.00	1	12.00	378.00
4	फिरोजाबाद	तदैव	20	60.00	2	6.00	12	36.00	15	112.50	1	12.00	226.50
5	अलीगढ़	दु0वि0अ0 आगरा	14	42.00	3	9.00	35	105.00	25	187.50	1	12.00	355.50
6	हाथरस	तदैव	17	51.00	3	9.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	214.50
7	एटा	तदैव	17	51.00	3	9.00	30	90.00	20	150.00	1	12.00	312.00
8	कासगंज	तदैव	14	42.00	3	9.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	205.50
9	झाँसी	उप दु0वि0अ0 झांसी	3	9.00	2	6.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	184.50
10	ललितपुर	तदैव	14	42.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	220.50
11	जालौन	उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई)	20	60.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	291.00
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	20	60.00	3	9.00	12	36.00	12	90.00	1	12.00	207.00
13	चित्रकूट	उप दु0वि0अ0 बांदा	20	60.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	291.00
14	बाँदा	तदैव	20	60.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	291.00
15	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	3	9.00	3	9.00	12	36.00	12	90.00	1	12.00	156.00
16	लखनऊ	दु0वि0अ0 लखनऊ	3	9.00	6	18.00	65	195.00	50	375.00	1	12.00	609.00
17	रायबरेली	तदैव	20	60.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	220.50
18	हरदोई	तदैव	20	60.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	220.50
19	उन्नाव	तदैव	20	60.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	220.50
20	सीतापुर	तदैव	14	42.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	202.50
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपुर-खीरी	14	42.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	220.50
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	17	51.00	3	9.00	30	90.00	20	150.00	1	12.00	312.00
23	बदाँयू	तदैव	14	42.00	3	9.00	30	90.00	25	187.50	1	12.00	340.50
24	शाहजहाँपुर	उपदु0वि0अ0शाहजहाँपुर	14	42.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	273.00
25	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0पीलीभीत	3	9.00	3	9.00	15	45.00	10	75.00	1	12.00	150.00
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	3	9.00	6	18.00	40	120.00	20	150.00	1	12.00	309.00
27	बागपत	तदैव	0	0.00	3	9.00	8	24.00	16	120.00	1	12.00	165.00
28	गाजियाबाद	तदैव	0	0.00	3	9.00	8	24.00	15	112.50	1	12.00	157.50
29	गौतमबुद्धनगर	तदैव	3	9.00	1	3.00	8	24.00	15	112.50	1	12.00	160.50
30	हापुड़	तदैव	3	9.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	187.50
31	बुलन्दशहर	तदैव	6	18.00	3	9.00	10	30.00	30	225.00	1	12.00	294.00
32	सहारनपुर	तदैव	17	51.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	282.00
33	मुजफ्फरनगर	तदैव	14	42.00	3	9.00	15	45.00	14	105.00	1	12.00	213.00
34	शामली	तदैव	14	42.00	1	3.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	267.00
35	मुरादाबाद	उप दु0वि0अ0 रामपुर	11	33.00	3	9.00	40	120.00	40	300.00	1	12.00	474.00
36	सम्भल	तदैव	14	42.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	273.00
37	अमरोहा	तदैव	14	42.00	3	9.00	15	45.00	20	150.00	1	12.00	258.00
38	रामपुर	तदैव	14	42.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	220.50
39	बिजनौर	तदैव	14	42.00	3	9.00	15	45.00	20	150.00	1	12.00	258.00
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	14	42.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	273.00
41	चन्दौली	तदैव	17	51.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	282.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

42	गाजीपुर	तदैव	17	51.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	229.50
43	जौनपुर	तदैव	17	51.00	3	9.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	229.50
44	सन्तरविदासनगर	तदैव	0	0.00	3	9.00	5	15.00	10	75.00	1	12.00	111.00
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0मिर्जापुर	14	42.00	3	9.00	25	75.00	21	157.50	1	12.00	295.50
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0	0.00	3	9.00	5	15.00	6	45.00	1	12.00	81.00
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0गोरखपुर	17	51.00	3	9.00	30	90.00	28	210.00	1	12.00	372.00
48	महराजगंज	उपदु0वि0अ0महराजगंज	17	51.00	2	6.00	10	30.00	10	75.00	1	12.00	174.00
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	17	51.00	2	6.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	279.00
50	कुशीनगर	तदैव	17	51.00	2	6.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	279.00
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	14	42.00	2	6.00	14	42.00	14	105.00	1	12.00	207.00
52	संतकबीरनगर	तदैव	14	42.00	2	6.00	14	42.00	14	105.00	1	12.00	207.00
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0सिद्धार्थनगर	20	60.00	2	6.00	15	45.00	15	112.50	1	12.00	235.50
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	14	42.00	3	9.00	15	45.00	16	120.00	1	12.00	228.00
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	14	42.00	2	6.00	14	42.00	14	105.00	1	12.00	207.00
56	बलिया	तदैव	14	42.00	3	9.00	14	42.00	14	105.00	1	12.00	210.00
57	इलाहाबाद	दु0वि0अ0 इलाहाबाद	3	9.00	3	9.00	35	105.00	35	262.50	1	12.00	397.50
58	कौशाम्बी	तदैव	17	51.00	3	9.00	10	30.00	10	75.00	1	12.00	177.00
59	फतेहपुर	तदैव	20	60.00	3	9.00	10	30.00	10	75.00	1	12.00	186.00
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	17	51.00	3	9.00	10	30.00	10	75.00	1	12.00	177.00
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	34	102.00	4	12.00	30	90.00	25	187.50	1	12.00	403.50
62	कानपुर देहात	तदैव	20	60.00	2	6.00	20	60.00	25	187.50	1	12.00	325.50
63	फर्रूखाबाद	तदैव	29	87.00	3	9.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	250.50
64	कन्नौज	तदैव	17	51.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	211.50
65	औरैया	तदैव	9	27.00	3	9.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	190.50
66	इटावा	तदैव	20	60.00	2	6.00	10	30.00	15	112.50	1	12.00	220.50
67	फैजाबाद	उप दु0वि0अ0 फैजाबाद	14	42.00	3	9.00	35	105.00	35	262.50	1	12.00	430.50
68	बाराबंकी	तदैव	14	42.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	273.00
69	अम्बेडकरनगर	उपदु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	14	42.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	273.00
70	सुल्तानपुर	तदैव	14	42.00	3	9.00	12	36.00	12	90.00	1	12.00	189.00
71	अमेठी	तदैव	14	42.00	3	9.00	12	36.00	12	90.00	1	12.00	189.00
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	14	42.00	3	9.00	30	90.00	30	225.00	1	12.00	378.00
73	बलरामपुर	तदैव	17	51.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	282.00
74	बहराइच	उप दु0वि0अ0बहराइच	20	60.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	291.00
75	श्रावस्ती	तदैव	18	52.00	3	9.00	20	60.00	20	150.00	1	12.00	283.00
			1078	3234	210	630	1350	4050	1380	10350	75	900	19162

नोट- जनपद श्रावस्ती द्वारा प्रबन्ध कमेटी सदस्य के भौतिक लक्ष्य 18 के सापेक्ष धनराशि रू0 54.00 हजार प्रस्तावित है, जिसमें अन्तर की धनराशि रू0 2.00 हजार दुग्ध संघ द्वारा वहन की जायेगी।

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।